2013

प्रारम्भिक स्तर पर

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लागू करने के लिए अध्यापक संदर्शिका

विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा

सूची

क्रम सं.	अधयाय	पृष्ठ संख्या
1	भूमिका	3
2	प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना	5 - 11

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों की वृद्धि एवं विकास के सभी पक्षों का नियमित आकलन है अर्थात् पाठ्यक्षेत्र, सह पाठ्यक्षेत्र, व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का विकास है।

भूमिका

हमारी शिक्षा प्रणाली में शिक्षण व मूल्यांकन लम्बी कालावधि से साथ–साथ चल रहे हैं। पारम्परिक प्रणाली में आकलन का क्षेत्र संज्ञानात्मक पक्ष तक ही सीमित रहता है व आकलन का उद्देश्य मात्र इतना ही घोषित करता है कि विद्यार्थी ने कितना कुछ सीखा है। यह प्रणाली परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए रटने को बढ़ावा देती है। अतएव यह आज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती और अब इस बात की आवश्यकता है कि विद्यालय को एक उचित प्रणाली से युक्त किया जाए, जो कि विद्यार्थी के सभी पक्षों की वृद्धि एवं विकास का नियमित आकलन करे।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हमें विद्यालय आधारित आकलन की तरफ स्थानान्तरित होने की आवश्यकता है और ऐसे रास्ते खोजने की आवश्यकता है, जिनसे कि ऐसे आन्तरिक मूल्यांकन और अधिक विश्वसनीय हों। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को लचीला एवं लागू करने योग्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का विकास करना चाहिए, जो मुख्यतया निदान, उपचार और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने वाला हो।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसमें अधिनियम के कुछ अनुभाग मूल्यांकन से निम्नलिखित अनुसार सम्बन्धित हैं :

अनुभाग 29(2) के अंतर्गत– पाठ्यचर्या व मूल्यांकन प्रक्रिया निम्नलिखित पर विचार करता है :

1 संविधान में निर्धारित मूल्यों के साथ समरूपता।

2 बच्चे का सभी प्रकार से विकास।

3 बच्चे के ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा का विकास।

4 बच्चे को डर, चोट और बेचैनी से मुक्त करना तथा उसे अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सहायता करना।

5 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चे को अपने ज्ञान को समझने व उसके द्वारा उस ज्ञान को प्रयोग करने की योग्यता का होना।

अनुभाग 30 (1) के अनुसार– प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी छात्र को बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अनुभाग 30 (2) के अनुसार– प्रत्येक छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त अनुभाग में निर्धारित प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणाा ने विद्यालयों में प्रारंभिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपनाने का निर्णय लिया है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1 विद्यार्थियों का मूल्यांकन उनको पढ़ाने वाले अध्यापक द्वारा ही किया जाना चाहिए।

2 मूल्यांकन दैनिक जीवन प्रक्रियाओं से जुड़ा होना चाहिए।

3 मूल्यांकन रोचक रीति से किया जाने वाला व क्रियाकलाप आधारित होना चाहिए।

4 प्रत्येक विद्यार्थी जो विद्यालय में दाखिल किया गया है, उसका उसी कक्षा में ठहराव नहीं होना चाहिए और उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होनी चाहिए।

5 विद्यार्थियों में परीक्षा का तनाव व भय खत्म करना।,

6 आवश्यकता अनुसार उपचारी शिक्षण सुनिश्चित करना।

7 पाठ्यचर्या का बोझ कम से कम करना।

8 निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक विद्यार्थी का निरंतर रिकार्ड रखना।

9 मूल्यांकन प्रक्रिया एवं पाठ्यचर्या में तालमेल सुनिश्चित करना।

10 विद्यार्थियों को उनकी क्षमताएँ बढ़ाकर उपलब्धि स्तर में सुधार के लिए प्रोत्साहित करना।

प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना

प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तीन पहलू हैं –

- शैक्षिक पक्ष
- पाठ्य सहगामी पक्ष
- व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण

शैक्षिक पक्ष

कक्षा 1 व 2

इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम के अनुसार तीन विषयों में मूल्यांकन किया जाएगा – हिन्दी, अंग्रेजी व गणित।

बच्चे के शैक्षिक विकास के लिए कुछ वर्णनात्मक टिप्पणियाँ बनाई जाएँगी, जो बच्चों के विशेष कौशलों की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए होंगी, जो कि विषयों पर आधारित होंगी। ये टिप्पणियाँ बच्चे को उसके विशेष क्षेत्र/विषय में सीखने के कौशल को सुधारने में अधिक प्रयास/ध्यान करते हुए अभिभावकों, अध्यापकों व स्वयं की सहायता करेंगी।

हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अध्यापक को बच्चों के चार मौलिक कौशलों का विकास और आकलन करना होगा–

- श्रवण कौशल
- कथन कौशल
- पठन कौशल
- लेखन कौशल

और गणित में विद्यार्थियों का आकलन निम्नलिखित क्षमताओं के आधार पर होगा –

- गिनती और पहाड़े
- गणितीय अवधारणा
- गणितीय आकृतियाँ

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों के निश्चित कौशलों व क्षमताओं का आकलन दैनिक अवलोकन पर आधारित होगा। विद्यार्थियों के निश्चित कौशलों के इस अवलोकन को अध्यापक द्वारा रुब्रिक्स आधार पर (अगले अध्याय में सुझाई गई)संबंधित विषयों पर प्रतिमास निर्धारित प्रपत्र में विवरणात्मक टिप्पणियों के अनुसार रिकार्ड किया जाएगा। छह महीने का व्यापक अवलोकन यानी अप्रैल से सितम्बर/अक्टूबर से मार्च तक विद्यार्थियों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट कार्ड में एक सत्र में दो बार दर्शाया जाएगा।

अप्रैल व मई मास में विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम 'कक्षा तत्परता कार्यक्रम'(सी.आर.पी.) के अंतर्गत करवाई गई गतिविधियों /पाठ्यक्रम अनुसार विभिन्न कौशलों में प्राप्त स्तर को रूब्रिक्स के माध्यम से आकलन किया जाए।

इस प्रकार बच्चे का मूल्यांकन कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से तुलना की अपेक्षा उसकी स्वयं की उन्नति के अनुसार होगा। कोई अंक या रैंक प्रदान नहीं किए जाएँगे। आवश्यकता अनुसार बच्चों को उपराचारात्मक शिक्षण दिया जाएगा।

कक्षा 3–5

इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का आकलन पाठ्यक्रम के आधार पर चार विषयों – हिन्दी, अंग्रेजी, परिवेश अध्ययन एवं गणित में होगा तथा किसी विषय में निश्चित कौशल का आकलन अवलोकन आधार पर निम्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा –

- आवधिक परीक्षण
- कार्यपुस्तिका

भाषा में जैसे हिन्दी और अंग्रेजी में विद्यार्थियों का आकलन निम्न कौशलों के आधार पर होगा :

- श्रवण कौशल
- कथन कौशल
- पठन कौशल
- लेखन कौशल

गणित और परिवेश अध्ययन में विद्यार्थियों का आकलन निम्न क्षमताओं के आधार पर होगा –

गणित	**परिवेश अध्ययन**
अवधारणाओं की समझ	पुनः स्मरण और पहचान
समस्या निदान	अवधारणाओं की समझ

भाषा में ज्ञान, समझ और लिखित अभिव्यक्ति के आधार पर लेखन योग्यता का आकलन द्विमासिक लिखित परीक्षा के आधार पर और दिए गए कार्य/कार्यपुस्तिकाओं में किए गए मासिक कार्य के आधार पर होगा। कथन, श्रवण व पठन कौशल का आकलन कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई विभिन्न क्रियाओं के आधार पर होगा।

गणित तथा परिवेश अध्ययन में दक्षताओं का आकलन द्विमासिक लिखित परीक्षणों के आधार पर तथा कार्यपुस्तिकाओं में दत्त कार्य व किए गए कार्य का मासिक आधार पर होगा।

अध्यापक विद्यार्थियों की उपलब्धियों को लिखित परीक्षा या कार्यपुस्तिका के आधार पर प्रत्येक मास की वर्णनात्मक टिप्पणियो/रुब्रिक्स के रूप में तथा सुझाए गए मापनों के आधार पर विषयों के आधार पर निर्धारित मूल्यांकन शीट में संबंधित महीनों के लिए रिकार्ड करेगा। आवधिक परीक्षण एक पीरियड में लिया जाए तथा इसका आकलन अंकों के बजाय वर्णनात्मक टिप्पणी के रूप में ही किया जाए।

अप्रैल व मई मास में विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम 'कक्षा तत्परता कार्यक्रम'(सी.आर.पी.) के अंतर्गत करवाई गई गतिविधियों /पाठ्यक्रम अनुसार विभिन्न कौशलों में प्राप्त स्तर को रूब्रिक्स के माध्यम से आकलन किया जाए।

प्रत्येक क्षमता एवं दक्षता का व्यापक अवलोकन विद्यार्थी के सी.सी.ई. रिपोर्ट कार्ड में प्रत्येक शैक्षिक सत्र में दो बार दर्ज किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में कोई ग्रेडिंग, रैंकिंग अथवा अंक नहीं दर्शाए जाएँगे।
अध्यापक द्वारा द्विमासिक परीक्षणों का आयोजन निम्न प्रकार से होगा –

परीक्षण मास	पढ़ाया गया पाठ्यक्रम
जुलाई	अप्रैल से मई
सितम्बर	जुलाई से अगस्त
नवम्बर	सितम्बर से अक्तूबर
जनवरी	नवम्बर से दिसम्बर
मार्च	जनवरी से फरवरी

कक्षा 6 से 8

इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का पाँच मुख्य विषयों में आकलन हिन्दी, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी तथा गणित और इसके साथ निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, चित्रकला और संगीत में से दो अतिरिक्त विषयों का आकलन किया जाएगा। ऊपरलिखित विषयों का आकलन निम्न उपकरणों पर आधारित होगा :

- आवधिक परीक्षण
- परियोजना कार्य
- कार्यपुस्तिका

आवधिक परीक्षण

सम्पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया को दो भागों– मूल्यांकन–1 व मूल्यांकन–2 में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग में अध्यापक द्वारा दो आवधिक परीक्षण संचालित किए जाएँगे, जो कि प्रत्येक आकलन चक्र द्वारा विद्यार्थी में विकसित कौशलों/दक्षताओं का आकलन करेगा। प्रत्येक परीक्षण निम्नलिखित तालिका में वर्णित कुछ विशिष्ट अधिमान सहित कौशलों और उद्देश्यों पर आधारित होगा।

विषय	कौशल/उद्देश्य	अधिमान
भाषा	ज्ञान समझ अभिव्यक्ति	20 प्रतिशत 40 प्रतिशत 40 प्रतिशत
गणित	ज्ञान समझ अनुप्रयोग समस्या समाधान	20 प्रतिशत 30 प्रतिशत 20 प्रतिशत 30 प्रतिशत
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	ज्ञान समझ विश्लेषणात्मक संख्यात्मक चित्रात्मक	20 प्रतिशत 40 प्रतिशत 20 प्रतिशत 10 प्रतिशत 10 प्रतिशत
सामाजिक अध्ययन	ज्ञान समझ चित्रात्मक विश्लेषणात्मक	30 प्रतिशत 50 प्रतिशत 10 प्रतिशत 10 प्रतिशत

विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले अध्यापक द्वारा ही आकलन किया जाना है। अतः अध्यापक आवधिक परीक्षणों का इस तरह से निर्माण करें, जिससे कि उसमें सम्मिलित विभिन्न प्रश्न ऊपरलिखित उद्देश्यों/कौशलों को उनके अधिमानों के अनुसार शामिल हों।

प्रत्येक परीक्षण 50 अंकों का होगा, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न जैसे बहुवैकल्पिक प्रश्न, अति लघु उत्तर, लघु उत्तर तथा दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न सम्मिलित होंगे, जिससे प्रत्येक क्षेत्र/कौशल/उद्देश्य को पूर्ण किया जा सके। **प्रत्येक परीक्षण का समय एक घण्टा रखा जाए।**

अप्रैल व मई मास में विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम 'कक्षा तत्परता कार्यक्रम'(सी.आर.पी.) के अंतर्गत करवाई गई गतिविधियों /पाठ्यक्रम अनुसार विभिन्न कौशलों में प्राप्त स्तर को रूब्रिक्स के माध्यम से आकलन किया जाए।

विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांकों को अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा तथा प्रत्येक आकलन के लिए क्रमशः ग्रेड़ों को विद्यार्थियों के सी.सी.ई. रिपोर्ट कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। अंकों को किसी भी

अवस्था में रिपोर्ट कार्ड में नहीं दिखाया जाएगा। विद्यार्थियों में विकसित विभिन्न कौशलों को दर्शाने के लिए उनके आकलन 1 एवं 2 तथा आकलन 3 एवं 4 के आधार पर व्यापक विवरणात्मक टिप्पणियाँ उनके रिपोर्ट कार्ड में लिखी जाएँगी।

अंकों एवम् क्रमशः ग्रेड़ों की बाँट निम्न प्रकार से की गई है :

90–100 प्रतिशत ए$^{+}$

70–89 प्रतिशत ए

50–69 प्रतिशत बी

35–49 प्रतिशत सी

35 प्रतिशत से नीचे डी

डी ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण की सुविधा प्रदान करनी होगी। आवधिक परीक्षण संचालित किए जाने वाली अनुसूची नीचे दी गई है।

आकलन चक्र	परीक्षण का महीना	पढ़ाया गया पाठ्यक्रम
1	जुलाई का अन्तिम सप्ताह	अप्रैल से जुलाई
2	सितम्बर का अन्तिम सप्ताह	अगस्त से सितम्बर
3	दिसम्बर का अन्तिम सप्ताह	अक्टूबर से दिसम्बर
4	मार्च का तीसरा सप्ताह	जनवरी से मार्च

परियोजना कार्य

परियोजना कार्य आकलन की एक प्रमुख तकनीक है और अध्यापकों का यह दायित्व है कि विद्यार्थियों को इसका परिचय करवाएँ। अध्यापक किसी भी प्रकार की परियोजनाएँ प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक और विद्यार्थियों के क्षेत्रीय संसाधनों व परिवेश के अनुसार पदार्थ निर्माण संबंधी। फिर भी विभाग द्वारा प्रकाशित परियोजना आधारित अधिगम पुस्तक में कुछ परियोजनाएँ सुझाई गई हैं।

परियोजना कार्य के मूल्यांकन में मुख्यतया निम्न बातें हो सकती हैं :

- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक आकलन चक्र में बारी–बारी से एक एकल और एक सामूहिक परियोजना कार्य सौंपा जाएगा।
- समूह आयामी परियोजनाएँ विद्यार्थियों में सहयोग एवं टीम भावना को संसाधित करेंगी।
- परियोजना एक विषय अथवा अन्तर विषयों के रूप में हो सकती है।

- परियोजना आकलन में विभिन्न आयामों जैसे कि सहभागिता, सूचना/संसाधनों का एकत्रण, कार्यविधि का चुनाव एवं परियोजनाओं की प्रस्तुति आदि को महत्त्व दिया जाएगा।
- एक परियोजना 20 अंकों की होगी तथा अंकों की बाँट निम्न रूप से होगी :
  - ➢ परियोजना के संदर्भ में उपयुक्त सूचनाएँ/आँकड़े और संसाधन 5 अंक
  - ➢ प्रयुक्त प्रविधि और उसकी प्रभाविता 5 अंक
  - ➢ विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन 5 अंक
  - ➢ प्रस्तुतीकरण 5 अंक
- किसी परियोजना में विद्यार्थियों द्वारा कुल प्राप्तांक अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रपत्र में दर्ज किए जाएँगे और प्रत्येक परियोजना आकलन के लिए विभिन्न ग्रेड़ों को विद्यार्थी के सी.सी.ई. रिपोर्ट कार्ड में दर्शाया जाएगा। किसी भी तरह अंकों को रिपोर्ट कार्ड में नहीं दिखाया जाएगा।
- अंकों के लिए विभिन्न ग्रेड नीचे दिए गए हैं :

प्राप्तांक का प्रसारण	ग्रेड
15–20	ए
8–14	बै
8 तक	सी

परियोजना आकलन के अनुसार विद्यार्थी के सी.सी.ई. रिपोर्ट कार्ड में वर्णनात्मक टिप्पणियाँ लिखने के लिए अध्यापक रुब्रिक्स के संदर्भ प्रयोग कर सकता है।

कार्यपुस्तिका :

विद्यार्थियों के विभिन्न कौशलों को विकसित करने के लिए विभाग ने प्रत्येक विषय के लिए छठी से आठवीं कक्षाओं के लिए कार्य पुस्तिकाएँ प्रदान करवाई हैं। इसलिए अध्यापकों को कार्य पुस्तिका में किए हुए कार्यों/दत्त कार्यों का आकलन करना आवश्यक है। यह आकलन निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है–

- विद्यार्थी द्वारा ली गई रुचि
- अवधारणाओं की समझ
- कार्य की स्वच्छता
- कार्य करने में नियमितता
- वर्णित कार्यकलाप

आकलन तीन प्वाइंट ग्रेडिंग आधारित होगा, जैसे कि ए, बी, सी या 3, 2, 1 जो कि रुब्रिक्स में भी वर्णित है। अध्यापक द्वारा प्रत्येक मास मूल्यांकन प्रपत्र में ग्रेड़ों के रूप में रिकार्ड को नियमित रखा जाएगा और उनकी उपलब्धियों के अनुसार वर्णनात्मक टिप्पणियों को विद्यार्थी के सी.सी.ई. रिपोर्ट कार्ड में उल्लेखित किया जा सकता है।

कक्षा कक्ष सहभागिता :

विद्यार्थियों की कक्षा कक्ष सहभागिता का आकलन करने की भी आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी कक्षा कक्ष गतिविधियों में उत्साहपूर्ण, चुस्ती एवं सक्रियता से भाग ले रहे हैं। इस संबंध में विद्यार्थियों से संबंधित प्रत्येक विषय में मूल्यांकन की मुख्य कसौटी इस प्रकार हो सकती है :

- कक्षा से पूर्व पाठ पढ़ लेना।
- कक्षा में चल रही गतिविधियों के प्रति सचेत रहना।
- पाठों की अच्छी समझ के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु उत्सुकता एवं अभिरुचि दिखाना।
- कक्षा कक्ष गतिविधियों में जोशपूर्ण सहभागिता।
- विषय के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुकता दिखाना।
- अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उपयुक्त एवं संदर्भित उत्तर देना।

आकलन तीन प्वाइंट ग्रेडिंग पर आधारित होगा, जैसे कि ए, बी, सी या 3, 2, 1 जो कि रुब्रिक्स में भी दी गई है। अध्यापक द्वारा प्रत्येक महीने मूल्यांकन प्रपत्र में ग्रेड़ के रूप में रिकार्ड को नियमित रखा जाएगा तथा विद्यार्थियों के सी.सी.ई. रिपोर्ट कार्ड में वर्णनात्मक टिप्पणियों को उल्लेखित किया जा सकता है।

2. पाठ्य सहगामी पक्ष

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दूसरा भाग छात्र की पाठ्य सहगामी क्रियाओं जैसे साहित्यिक, सांस्कृतिक, सर्जनात्मक और खेलों तथा छठी से आठवीं कक्षाओं के लिए अतिरिक्त रूप से वैज्ञानिक व परिवेश जागरूकता के आकलन से संबंधित है, जो कि छात्र के सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास में मदद करेगा। पाठ्य सहगामी कौशलों के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का सुझाव दिया जाता है :

कौशल	**सुझाई गई गतिविधियाँ**
साहित्यिक	**कक्षा I व II के लिए** कविता वाचन, कहानी कहना, सुलेख **कक्षा III से VIII के लिए** भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन, पत्र लेखन, कविता पाठ, कविता लेखन
सांस्कृतिक	**कक्षा I व II के लिए** गायन, सामूहिक अभिनय, फैंसी ड्रैस तथा नृत्य **कक्षा III से VIII के लिए** नृत्य, लोक नृत्य, नाटक, एकल अभिनय, सामूहिक अभिनय, समूह–गान, एकल गायन व वाद्य संगीत
सर्जनात्मक	**कक्षा I व II के लिए** कागज और मिट्टी के विभिन्न आकार के खिलौने व विभिन्न आकृतियाँ तैयार करना/बनाना। **कक्षा III से VIII के लिए** कागज व मिट्टी के विभिन्न आकार के खिलौने व विभिन्न आकृतियाँ बनाना, कोलाज बनाना, रेखांकन, चित्रांकन, रंगोली बनाना और मेहंदी लगाना।

खेलकूद	**कक्षा I व II के लिए** बहिरंग खेल : दौड़ व कूदना अंतरंग खेल : कैरम साँप–सीढ़ी, क्रम निर्धारण **कक्षा III से VIII के लिए** बहिरंग खेल : कबड्डी, खो–खो, बैडमिंटन, दौड़ व कूदना आदि (विभाग द्वारा निर्धारित खेल) अंतरंग खेल : कैरम, लूडो, शतरंज, पहेली
विज्ञान एवं पर्यावरण जागरूकता	**कक्षा VI से VIII के लिए** बागवानी, वृक्षारोपण, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, विज्ञान नाटिका, शैक्षिक भ्रमण व प्राथमिक चिकित्सा

- **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) को निम्नलिखित गतिविधियाँ अध्यापक द्वारा करवाई जाएँ–**
  1. **दृष्टिबाधित बच्चों के लिए –वाद्य संगीत व गायन संगीत**
  2. **मूक एवं बधिर बच्चों के लिए –पेंटिंग, मोमबत्ती बनाना, चॉक बनाना, फ्लावर कटिंग, ब्लॉक प्रिंण्टिंग, रंगोली, सिलाई, पेपर व कपड़े के हैण्डबैग बनाना।**
  3. **खेल–कूद गतिविधियाँ जैसे ट्राई साइकिल दौड़, रिले रेस इत्यादि।**
- अध्यापक को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह प्रत्येक क्षेत्र में आयु के अनुसार उचित गतिविधियाँ जोड़ सकता है।
- **अध्यापक प्रत्येक क्षेत्र में विद्यार्थियों को कम से कम एक गतिविधि में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करे और उनका अवलोकन द्वारा आकलन करे।**
- विद्यार्थी की रुचि, प्रतिभागिता, टीम भावना, कौशल/प्रविधि, समन्वयन और तंदुरुस्ती आदि गुणों को अवलोकन करने के बाद विद्यार्थी के सी.सी.ई. रिपोर्ट कार्ड पर विवरणात्मक टिप्पणी के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

3. व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण :

बच्चे के व्यक्तित्व विकास में सीखने की प्रक्रिया के दौरान व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये मूल्य भी बच्चे के सर्वांगीण विकास को आंकने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

व्यक्तिगत व सामाजिक गुणों के वर्णन के लिए निर्धारित नियम (rubrics) अगले अध्याय में वर्णित हैं। इन गुणों की गतिविधियों की सुझाई गई सूची निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

गुण	सुझाई गई गतिविधियाँ
नियमितता व समय की पाबंदी	विद्यालय में समय पर व नियमित रूप से आना, कक्षा कार्य और गृहकार्य पूर्ण करना।
स्वच्छता	कपड़े, नाखून, बाल, दाँत, आँखें, नाक आदि की सफाई एवं किताब–कापियों, कक्षा–कक्ष व विद्यालय की स्वच्छता।
सहयोग	सहपाठियों, अध्यापकों व माता–पिता के साथ सहयोग
आत्मविश्वास	कक्षा तथा विद्यालय में आयोजित विभिन्न गतिविधियों में आत्मविश्वास दिखाना।
पहल करना	स्वतः कार्य करना, मौखिक चर्चा में भागीदारी के लिए तत्पर रहना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना।